स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

उत्तर प्रदेश में नई खनन नीति से

किसान अपने खेत से निकाल सकेंगे बालू-मौरम

भूमिधरी कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण जमा बालू-मौरम को हटाने हेतु जिलाधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदन पत्र पर जिलाधिकारी द्वारा एक फसली वर्ष में भूमिधर के पक्ष में तीन माह से अनाधिक अवधि हेतु खनन अनुज्ञा पत्र स्वीकृत किया जायेगा।

कृषिकीय भूमि पर बाढ़ के कारण एकत्रित बालू-मौरम को हटाये जाने से भूमि कृषि कार्य के लिये उपयोग में लायी जा सकेगी।

बालू-मौरम की बाजार में उपलब्धता में वृद्धि होने से उसके मूल्य में गिरावट आयेगी।

कृषिकीय भूमि पर बालू-मौरम के जमाव को हटाये जाने से भू-स्वामी को हो रही क्षति से राहत मिलेगी।

कृषिकीय भूमि से बालू-मौरम को हटाये जाने से व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

विकास कार्यों में इस्तेमाल होने वाली साधारण मिट्टी के उपयोग सम्बन्धी प्रक्रिया का निर्धारण

साधारण मिट्टी उपखनिज की श्रेणी में वर्गीकृत और इसके उपयोग पर रू0 30 प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी निर्धारित ।

छोटे-छोटे गृहों के निर्माण/कुम्हार कार्य/मत्स्य पालन हेतु तालाबों को बनाने के लिये अपने खेत से एक कैलेण्डर वर्ष में 10 ट्राली मिट्टी के उपयोग पर रायल्टी से छूट।

अन्य निर्धारित प्रयोजनों और विकास कार्यों हेतु मिट्टी के उपयोग की दशा में आवेदक को निर्धारित रायल्टी का भुगतान किया जाना अनिवार्य।

विकास कार्यों के लिये उपयोग में लायी जाने वाली साधारण मिट्टी के लिये सक्षम प्राधिकारी से माइनिंग प्लान अनुमोदित कराकर स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक।